# पात्रता आधारित अधिकारिता
## (Entitlement Based Empowerment)

# आइये जानें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बारे में

समर्थन सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल

# सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता और 50 साल से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये हर माह पेंशन दी जाती है। आम नागरिकों तक इन पेंशन योजनाओं के लाभ की पात्रता, आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज, मिलने वाली पेंशन राशि और आवेदन कहां करें इसकी जानकारी इस मार्गदर्शिका पत्रक में प्रकाशित की जा रही है।

**सभी तरह की पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदक को अन्य पात्रताओं के साथ-साथ निम्न शर्तें पूरी करना जरूरी हैं -**

- **समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना।**
- **स्वयं के नाम का बैंक खाता होना।**
- **बैंक खाते का आधार से लिंक होना।**

| क्र. | पेंशन योजना का नाम | आवेदन हेतु पात्रता | जरूरी दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| **कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये पेंशन योजनायें** | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना | • आवेदिका कल्याणी (विधवा) हो।<br>• मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।<br>• आयु 18 वर्ष से अधिक हो।<br>• आयकर दाता न हो।<br>• राज्य/केन्द्र सरकार की कर्मचारी/ अधिकारी न हो।<br>• परिवार पेंशन का लाभ नहीं ले रही हो।<br>• बीपीएल सूची में नाम होना जरूरी नहीं। | • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र<br>• स्वयं की आयु का प्रमाण पत्र<br>• अन्य कोई पेंशन न मिलने और आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| 2. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | • आवेदिका बीपीएल परिवार से हो।<br>• आयु 40 से 79 वर्ष हो।<br>• मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो। | • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र<br>• स्वयं की आयु का प्रमाण पत्र<br>• बीपीएल कार्ड<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| 3. | समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना | • आवेदिका बीपीएल परिवार से हो।<br>• आयु 18 से 59 वर्ष हो।<br>• मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो। | • परित्क्ता प्रमाण पत्र<br>• स्वयं की आयु का प्रमाण पत्र<br>• बीपीएल कार्ड<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| **वृद्धजनों के लिये पेंशन योजनायें** | | | |
| 4. | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।<br>• आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।<br>• बीपीएल श्रेणी के परिवार से हो। | • आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• बी.पी.एल. कार्ड<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| 5. | समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।<br>• आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।<br>• निराश्रित हो अर्थात अपना भरण-पोषण नहीं कर पाता हो। | • निराश्रित होने का प्रमाण पत्र<br>• आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **दिव्यांग/नि:शक्तजनों के लिये पेंशन योजनायें** | | | |
| 6. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।<br>• 18 से 79 वर्ष की आयु के नि:शक्तजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 या अधिक हो।<br>• बीपीएल श्रेणी के परिवार से हो। | • 80 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र<br>• आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• बीपीएल कार्ड<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| 7. | समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।<br>• आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।<br>• दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो।<br>• बीपीएल सूची में नाम होना जरूरी नहीं। | • 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र<br>• आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| 8. | बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन को आर्थिक सहायता  योजना | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।<br>• आयु 6 वर्ष से अधिक हो।<br>• बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित हो।<br>• दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो। | • 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांगता का प्रमाण हो।<br>• आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |
| **कन्या अभिभावक पेंशन योजना** | | | |
| 9. | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | • दम्पत्ति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।<br>• पति/पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।<br>• संतान के रूप में दम्पत्ति की केवल कन्यायें हो, कोई जीवित पुत्र नहीं।<br>• आयकर दाता न हो। | • संतान के रूप में केवल कन्या होने, कोई जीवित पुत्र न होने का प्रमाण पत्र<br>• आयु एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र<br>• आयकर दाता न होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र<br>• पति-पत्नी का संयुक्त फोटो/ एकल होने पर एक का<br>• विधवा/परित्यक्ता की स्थिति में पति की मृत्यु/ परित्यक्ता का प्रमाण पत्र<br>• समग्र आई.डी. |
| **अविवाहित महिलाओं के लिये पेंशन योजना** | | | |
| 10. | मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना | • मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।<br>• अविवाहित हो और आयु 50 वर्ष या इससे अधिक हो।<br>• आयकर दाता न हो।<br>• राज्य/केन्द्र सरकार की कर्मचारी/ अधिकारी न हो।<br>• शासकीय/अशासकीय कार्यालय में मानदेय प्राप्त कर्मचारी न हो।<br>• अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो। | • आयु संबंधी प्रमाण पत्र<br>• अविवाहित होने का प्रमाण पत्र<br>• अन्य कोई पेंशन प्राप्त न करने और आयकर दाता न होने को स्वघोषित प्रमाण पत्र<br>• समग्र आई.डी.<br>• स्वयं की तीन फोटो |

## आवेदन के निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत सभी तरह की पेंशन योजनाओं के आवेदन के निराकरण की समय सीमा 15 कार्य दिवस तय की गई है।

## पेंशन राशि भुगतान

सभी तरह की पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में 600/- रुपए की पेंशन राशि हर माह प्रदान की जाती है।

## आवेदन कहां करें

पात्रतानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्न 3 स्थानों में से किसी पर भी आवेदन किया जा सकता है –

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (https://socialsecurity.mp.gov.in/) पर आवेदक स्वयं या किसी जानकार की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- नजदीकी लोक सेवा केन्द्र या सी.एस.सी. सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर पालिका/ नगर निगम/ नगर परिषद कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

## पेंशन लाभार्थियों से जुड़ी समस्यायें और संभावित समाधान

### 01 पेंशन बन्द हो जाने पर क्या करें?

- ग्राम पंचायत सचिव को बतायें और कारण जानें।
- हो सकता है आपके बैंक खाते से आधार नम्बर लिंक न हो, बैंक में आधार कार्ड की फोटो देकर लिंक करायें।
- समग्र आई.डी. को आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर से लिंक करायें।
- बैंक खाते से समय-समय पर लेनदेन करते रहें, लम्बे समय तक लेनदेन नहीं करने पर बैंक द्वारा खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिसे पुन: शुरू कराने के लिये दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं।

### 02 पेंशन बन्द होने से कैसे बचा जाए?

- बैंक खाते से नियमित लेनदेन करते रहें।
- आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर को बैंक खाता एवं समग्र आई.डी. से लिंक करायें।
- जिन बैंकों में नेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो उनमें खाता खुलवायें।
- पेंशन बंद होने की सूचना तुरन्त ग्राम पंचायत सचिव को दें।

### 03 कियोस्क सेंटर पर अंगूठा निशान न आये तो क्या करें?

- बैंक खाते से आधार नम्बर लिंक करायें ताकि अंगूठे के निशान न आने पर अंगुली के निशान से खाते को संचालित किया जा सके।
- कियोस्क से हर एक लेनदेन की पर्ची अवश्य प्राप्त करें।
- कियोस्क पर रजिस्टर में हस्ताक्षर से पहले पैसे का मिलान अवश्य कर लें।

## समग्र में e-KYC जरूर करायें

नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेन्टर पर निम्न दो तरीके से e-KYC करा सकते हैं –

1. **आधार लिंक मोबाइल पर ओ.टी.पी. के माध्यम से**
   (इसके लिये आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है)
2. **बायोमैट्रिक सत्यापन के द्वारा**

## समग्र पोर्टल के माध्यम से ऐसे करें e-KYC जरूर करायें

1. समग्र पोर्टल samagra.gov.in पर जायें और अपनी समग्र आई.डी. दर्ज करें।
2. मोबाइल नम्बर दर्ज कर ओ.टी.पी. से सत्यापन करें।
3. अपना आधार नम्बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओ.टी.पी. को दर्ज कर आधार को सत्यापित करें।

आधार में दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आपका आधार e-KYC हो जायेगा। मिलान नहीं होने पर आधार e-KYC का अनुरोध ग्राम पंचायत को अनुमोदन के लिये प्रेषित हो जायेगा।

**समर्थन - 36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल - 462016 (म.प्र.)**
**सम्पर्क नम्बर - 9893563713, Website : www.samarthan.org**